SCMS 2020/00060 08/02/21

फर्द अहकाम

57

(नियम 13)

पेज अदालत तहसीलदार/नायब तहसीलदार सिणधरी तहसील सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी बनाम श्रीमति सकीना बानू

हलका भूका भगतसिंह पुत्र श्री अलीखां जाति कायमखानी

निवासी भूका भगतसिंह

किस्म मुकदमा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 मु.नं. 57 /वर्ष 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज	हुक्म और तारीख तामिल की
23-12-2020	पटवारी हलका भूका भगतसिंह ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत 2077 में मौजा भूका भगतसिंह के खसरा नंबर 27/3 रकबा 1200 व.फी. किस्म भूमि गै.मु. गोचर पर नाजायज अतिक्रमण कर काश्त व कब्जा किया है, अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया जावें। पत्रावली दिनांक 11-01-2021 को बमुकाम सिणधरी में पेश हों। तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर	
11-01-2021	पत्रावली पेश हुई। गैरसायल अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य हेतु जोधपुर पधारे है। पत्रावली दिनांक 18-1-2021 को पेश हो। 11-01-2021	
18-01-2021	पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। गैर सायल ने जवाब हेतु समय चाहा जो दिया जाकर पत्रावली दिनांक 27-01-2021 को पेश हो। तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर	सकिना

न्यायालय तहसीलदार सिणधरी जिला बाड़मेर राजस्थान

मुकदमा नम्बर–57 /2020 संवत्:–2077

राजस्थान सरकार जरिये बनाम सकीना बानु प० अलीखां

पटवारी हल्का भूका पनातासिंह कोटवाल भूका पनासिंह

निर्णय

दिनांक:–22-2-2021

संक्षिप्त प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि हल्का पटवारी भूका पनातासिंह ने रिपोर्ट पेश कर जाहिर किया। कि गैर सायल ने संवत् 2077 में राजस्व ग्राम भूका पनातासिंह के खसरा नम्बर 22/3 में कुल रकबा 03-3816 है ~~बीघा~~ किस्म भूमि गैर मु. गोचर में से रकबा 1200 व.फीट ~~बीघा~~ भूमि पर अतिक्रमण किया है। जिस पर राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर गैर सायल को नोटिस तलब किया गया। पेशी तिथि पर गैर सायल अनुपस्थित।

गैर सायल वावजूद नोटिस तामिल के अनुपस्थित अतः गैर सायल के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है।

चूकि उक्त आराजी राजस्व अभिलेख अनुसार राजकीय भूमि दर्ज है जिस पर गैर सायल द्वारा अनाधिकृत कब्जा करना साबित होता है।

ऐसी अवस्था में गैर सायल को राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अतिक्रमी घोषित किया जाकर उसको उक्त आराजी मूतनाजा से बेदखली के आदेश दिये है। गैर सायल के इस कृत्य के लिए उनके विरूद्ध वार्षिक भू– राजस्व लगान 0.01 रुपये का राउण्ड अप एक रुपया का 50 गुणा अर्थात 50/— रूपये (अक्षरे पचास रूपये) का जुर्माना आरोपित कर दण्डित किया जाता है। गैर सायल से वसूल किया जावे।

हल्का पटवारी गैर सायल को उक्त आराजी से भौतिक रूप से बेदखलकर निर्णय की पालना में भूमि का कब्जा वहक सरकार प्राप्त करे। तथा कब्जा प्राप्ति की रिपोर्ट पेश करें। निर्णय की क्रियान्वित मांग कायमी हेतु तराले/भू.अ. निरीक्षक/पटवारी हल्का आदेश की पालना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

न्यायालय तहसीलदार सिणधरी (बाड़मेर)

वर्ष 2020-21 के राजस्व लेखा पंजिका सं. 4 के पृष्ठ सं. 10 पर क्र.सं. 17 पर जुर्माना/फसल बिलानी राशि रू. 50/— की मांग दर्ज की गई।

M. [signature]
तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील सिणधरी

[signature]
तहसीलदार सिणधरी
जिला बाड़मेर